

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14474/2024

1. मोहन लाल शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी किशनपुरा, पोस्ट पाडासोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. शिव चरण गुर्जर पुत्र ओम प्रकाश गुर्जर, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी कठमाना, जिला टोंक, राजस्थान।
3. सुमन पुत्री राम कुमार, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी 2125, सेक्टर-1-4, हिसार, हरियाणा।
4. अर्जुन लाल जाट पुत्र मंगू राम जाट, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी मुवालों की ढाणी, तहसील आमेर, बिलोची, जयपुर, राजस्थान।
5. विपिन कुमार मामोडिया पुत्र सुभाष चंद, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी वीपीओ अंतेला, तहसील विराट नगर, जिला जयपुर, राजस्थान।
6. प्रियंका गुर्जर पुत्री राम प्रहलाद गुर्जर, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ इंदरगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. मजहर खान पुत्र अब्दुर्रहमान, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी 25501, नाथ जी की बगीची, पहाड़गंज, घाटगेट, जयपुर, राजस्थान।
8. दीप्ति जैन पुत्री अरविंद कुमार जैन, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, हिंडौन रोड, खेरली गंज, अलवर, राजस्थान।
9. चंद्र शेखर पुत्र ओम प्रकाश, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी नयापुरा, अटपारा, जिला पाली, राजस्थान।
10. जसोदा किलाका पुत्री सुगनाराम किलाका, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी घुमांडा, रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान।
11. संगीता नागर पुत्री हंसराज नागर, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी मुंडला, तहसील छाबड़ा, जिला बारां, राजस्थान।

12. सुनील कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 24, बिश्नोई बास, खेतरापाल मंदिर के पीछे, रावतसर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
13. ज्योति चुघ पुत्री प्रीतम दास, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 5, ग्राम कुंडालावाला, 6 एलएनपी, ख्यालीवाला, गंगानगर, राजस्थान।
14. कपूर चंद सैन पुत्र ज्ञान चंद सैन, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी सोडाला, दौसा, राजस्थान।
15. मोनिका चौधरी पुत्री श्रवण कुमार, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2, बम्बलवास, 2 बीबीएम, हनुमानगढ़, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

से संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14208/2024

1. प्रियंका यादव पुत्री भाग चंद यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी 26, सुशांत सिटी-1, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान।
2. तारेश चंद्र गुप्ता पुत्र चंद्र कांत गुप्ता, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 48, सरकारी आईटीआई कॉलेज के पीछे, मोती नगर, अलवर, राजस्थान।
3. संजीव कुमार सैनी पुत्र बनवारी लाल सैनी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी मोहल्ला खोहरा, अशोक सर्किल के पास, अलवर राजस्थान।
4. ऋचा शर्मा पुत्री नरेंद्र स्वरूप शर्मा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी 427, भट्ट भवन, शुक्लापुरी, मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14246/2024

1. पूरण मल स्वामी पुत्र प्रभु दयाल स्वामी, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी मोहन दास की ढाणी, किशोर पुरा, सीकर, राजस्थान।
2. अरुण सारस्वत पुत्र जगमोहन सारस्वत, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी सी-2, जनकपुरी, धवास, जयपुर, राजस्थान।
3. विकास ओसवाल पुत्र माली राम, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी 205, रानी सती नगर, श्याम नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
4. नेहरू लाल मीणा पुत्र रामसहाय मीणा, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम बिहारीपुरा, मानसर खेड़ी, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभु नारायण मीणा पुत्र कल्याण सहाय मीणा, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम हरदी, पोस्ट कुंथड़ा खुर्द, लहरियों की ढाणी, जयपुर, राजस्थान।
6. सुरेंद्र कुमार मीणा पुत्र जय नारायण मीणा, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी लांबा की ढाणी, धामस्या, झाझवार, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14276/2024

1. सुमन खंबरा पुत्री गिरधारी खंबरा, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी आर-225, नारायण विहार, आर-ब्लॉक, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
2. सुमना देवी पुत्री जय चंद, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9, 34 आरडब्ल्यूडी, गंधेली, हनुमानगढ़, राजस्थान।
3. तृप्ति चौधरी पुत्री गंभीर सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी 8, बापू नगर, भरतपुर, राजस्थान।
4. अनीता पुत्री धर्मवीर सिंह, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी सी/ओ मधुसूदन, 236, रेवाड़ी, हरियाणा।
5. नीलम पुत्री सुमन सिंह, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी पंजाबी मोहल्ला, खोह, भरतपुर, राजस्थान।
6. रोहिताश कुमार मीणा पुत्र बद्री प्रसाद मीणा, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुरा, पोस्ट किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान।
7. समीम खान पुत्र रुजदार खान, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम निवाली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान।
8. सरिता पुत्री वास्तु राम, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 6, निजामपुरा, झुंझुनू, राजस्थान।
9. प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र नाथू लाल शर्मा, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी चौमू, गोविंदगढ़, जयपुर, राजस्थान।
10. तेजपाल मीणा पुत्र छाजू राम मीणा, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम गोपालपुरा, पोस्ट किशोरी, तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान।
11. ओम प्रकाश अलवरिया पुत्र चेत राम अलवरिया, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 21, नागाजी की गौर, मोहल्ला बुचेरा, पोस्ट कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान।

12. देवेंद्र पुत्र लाल चंद, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 8, चक 2 टीटीडी, थेथर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
13. अमर सिंह पुत्र हरि सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी न्यू आबादा बेरा, पाली, राजस्थान।
14. रतन लाल मेघवाल पुत्र भेरू लाल मेघवाल, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी सांगवा, जिला उदयपुर, राजस्थान।
15. संदीप कुमार पुत्र नानू राम, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 07, ऐलनाबाद, सिरसा, हरियाणा।
16. सौरभ कुमार पुत्र गांगी राम, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी पेट्रोल पंप वाली सड़क के पीछे, कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
17. बिनतोष कुमारी नागर पुत्री द्वारका लाल नागर, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ शाहपुरा, तहसील मांगरोल, जिला
18. अंजुम परवीन पुत्री हनीफ मोहम्मद, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 15, सुभाष कॉलोनी, नैनवा, जिला बूंदी, राजस्थान।

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री आर.पी. सैनी श्री ऋषि राज माहेश्वरी श्री गोपेश कुमार श्री आमिर खान
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता, जिनकी सहायता सुश्री हर्षिता ठकराल ने की

श्री बी.एस. छाबा, अतिरिक्त महाधिवक्ता,
जिनकी सहायता श्री अविनाश चौधरी ने
की

न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

आदेश

आरक्षित दिनांक 24.10.2024

उद्घोषित दिनांक 11.11.2024

रिपोर्ट करने योग्य

- देश के कानून को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे सभी नागरिक समान स्तर पर हों। यदि कानून किसी नागरिक का किसी अनुचित आधार पर जैसे वर्ग, स्थिति, लिंग या निवास स्थान आदि के कारण पक्ष लेता है, तो कानून अनुचित है और अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहता है, जो न्याय को बनाए रखना है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए और किसी भी नागरिक के साथ लिंग, जाति, वर्ग, धर्म या निवास स्थान आदि जैसे किसी अनुचित आधार पर कोई विशेष विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधारणा को "कानून के समक्ष समानता" और "कानून का समान संरक्षण" वाक्यांशों में संक्षेपित किया जा सकता है।
- यह अवधारणा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 7 में भी पाई जा सकती है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता था। यह प्रावधान कहता है कि "सभी कानून के समक्ष समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी इस घोषणा के उल्लंघन में किसी भी भेदभाव के खिलाफ और ऐसे भेदभाव के लिए किसी भी उकसावे के खिलाफ समान संरक्षण के हकदार हैं।"
- इन रिट याचिकाओं में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि "क्या उम्मीदवारों/कर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान का विकल्प चुनने के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जा सकते हैं?" क्या ऐसे उम्मीदवारों को अतिरिक्त बोनस अंक देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत निहित अन्य उम्मीदवारों के मौलिक

अधिकारों का उल्लंघन है? इसी पृष्ठभूमि में इन रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे पर विचार किया जाना आवश्यक है।

4. इन रिट याचिकाओं में समान कारण कार्यवाही और कानून तथा तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, पक्षकारों के अधिवक्ता की सहमति से, अंतिम बहस सुनी गई है और इन्हें इस सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।

5. सुविधा के लिए, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14474/2024 में वर्णित तथ्यों और प्रार्थना पर विचार किया गया है।

6. इस रिट याचिका को दायर करके, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 11.07.2024 को महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और स्वामी विवेकानंद सरकारी मॉडल विद्यालयों (एसवीजीएमएस) तथा अन्य सभी सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 9 को चुनौती दी गई है।

7. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के अनुसार, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए, प्रतिवादी-विभाग द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और यदि कर्मी/उम्मीदवार उस जिले में पदस्थापन का विकल्प देता है जहां वह वर्तमान में पदस्थापित है, तो उसे उक्त जिले में चयन/पदस्थापन के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त शर्त राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 (संक्षेप में '2023 के नियम') के नियम 10 के अनुरूप नहीं है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि विज्ञापन में कोई शर्त सेवा और नियुक्ति के नियमों और विनियमों के विपरीत नहीं हो सकती है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नियमों के तहत बोनस अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद, चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9 को विज्ञापन में शामिल किया गया है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, इन परिस्थितियों में, चुनौतीप्राप्त शर्त टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त और रद्द करने योग्य है। अधिवक्ता ने निवेदन

किया कि प्रतिवादियों की उपर्युक्त कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

8. अपने निवेदनों के समर्थन में, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जो (2002) 6 **SCC** 562 में रिपोर्ट किया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जो 2022 **SCC** ऑनलाइन **SC** 70 में रिपोर्ट किया गया है।

9. इसके विपरीत, विद्वान महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि विचाराधीन विज्ञापन 2023 के नियमों के अनुरूप जारी किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि नियम 7 चयन के स्रोत से संबंधित है और नियम 8 चयन के लिए पात्रता से संबंधित है। उन्होंने निवेदन किया कि पूरी चयन प्रक्रिया इन नियमों पर आधारित है और जब तक याचिकाकर्ताओं द्वारा इसकी कानूनी वैधता को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक वे कोई राहत पाने के हकदार नहीं हैं। उन्होंने निवेदन किया कि विचाराधीन विज्ञापन से उत्पन्न होने वाली चयन प्रक्रिया एक सामान्य भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा पहले से कार्यरत शिक्षकों/अन्य कर्मचारियों की उपयुक्तता की पहचान करने के लिए अपनाई गई एक भर्ती प्रक्रिया है, और नियमों के अनुसार, उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जो उसी जिले का विकल्प चुनते हैं जहां वे वर्तमान में पदस्थापित हैं। 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने की शर्त विज्ञापन में उन शिक्षकों को बोनस अंक देने के लिए रखी गई है, जो उसी जिले में पदस्थापित हैं, जिसका उन्होंने विकल्प चुना है। उन्होंने निवेदन किया कि शर्त संख्या 9 में कोई दुर्बलता नहीं है, इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

10. पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम,

2023 (संक्षेप में "2023 के नियम") बनाए, जिसमें नियम 6 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए रिक्तियों के निर्धारण का प्रावधान करता है। नियम 7 चयन के स्रोत का प्रावधान करता है। नियम 8 चयन के लिए पात्रता का प्रावधान करता है। नियम 10 चयन के मानदंड का प्रावधान करता है। नियम 11 चयन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है और नियम 14 सेवा की अन्य शर्तों का प्रावधान करता है। संदर्भ के लिए, ये नियम इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं:-

"6. रिक्तियों का निर्धारण- नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को, वर्ष के दौरान या जब भी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न होती है, प्रत्येक जिले के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा।

7. चयन का स्रोत- इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद, अनुसूची-1 के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, चयन समिति की सिफारिश पर विभाग के पात्र कर्मियों में से किया जाएगा, अधिमानतः उस जिले के जिसमें रिक्तियां भरी जानी हैं, जैसा कि अनुसूची-1 के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित है।

8. चयन के लिए पात्रता- अनुसूची-1 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए केवल वही व्यक्ति विचार के लिए पात्र होंगे, जो विभाग के पदधारी हैं, अधिमानतः उस जिले के जिसमें रिक्तियां भरी जानी हैं, और अनुसूची-1 में निर्दिष्ट पदों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन/नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

10. चयन के मानदंड- चयन संबंधित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पिछला रिकॉर्ड और संबंधित सेवाओं में पिछला अनुभव या चयन के किसी अन्य मानदंड जैसे अंग्रेजी भाषा संचार कौशल में प्रवीणता और अंग्रेजी माध्यम से अपने विषय को अच्छी तरह से पढ़ाने की क्षमता या समिति जो भी उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए किया

जाएगा। निदेशक को आवश्यकतानुसार आगे विस्तृत निर्देश तैयार करने, सशोधित करने और जारी करने का अधिकार होगा।

11. चयन की प्रक्रिया- (1) जैसे ही यह तय हो जाता है कि अनुसूची-1 के कॉलम संख्या 2 में निर्दिष्ट रिक्त पदों की एक निश्चित संख्या को अनुसूची-1 के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित पात्र उम्मीदवारों में से भरने के लिए चयन किया जाना है, निदेशक या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी सभी पात्र उम्मीदवारों से एक निर्धारित तिथि तक उस तरीके से आवेदन आमंत्रित करेगा जिसे वह उचित समझे।

(2) पात्र उम्मीदवार निदेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(3) उम्मीदवार विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर पदस्थापन के लिए उस समय के लिए निर्धारित जितनी चाहें उतनी पसंद का उल्लेख कर सकते हैं।

(4) प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद, लंबित विभागीय जांच, अभियोजन रिपोर्ट, अन्य सेवा रिकॉर्ड या कोई अन्य जानकारी जिसे उचित समझा जाए, मांगी जा सकती है। ऐसी जानकारी पर उचित विचार के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए उनके पद/विषयों के अनुसार अनुसूची जारी करेगा। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन और निदेशक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों का चयन उनकी उपयुक्तता के अनुसार किया जाएगा और तदनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की एक सूची तैयार की जाएगी:

बशर्ते कि चयन समिति, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों, तो आरक्षित सूची में अधिक उम्मीदवारों को रख सकती है जिनकी संख्या निर्धारित रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर नए चयन प्रक्रिया शुरू होने तक पदस्थापन के लिए विचार किया जा सकता है।

14. सेवा की अन्य शर्तें- (1) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध पद पर चयन के बाद कर्मियों को सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए पदस्थापित किया जाएगा जिसे सेवा के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद निदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे सेवा अवधि के पूरा होने से पहले बिना कोई कारण बताए पिछले नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए एक कर्मी को कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा। निदेशक के अलावा अन्य नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कार्य से पहले निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित सभी कर्मियों के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया से की जाएगी।

(3) जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित कर्मी को मूल संवर्ग में उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रत्यावर्तित माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय योग्यताएं होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों और आवश्यकता के अनुसार पदोन्नत कर्मी के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन को बनाए रखने का निर्णय ले सकता है।

(4) इन नियमों में प्रदान किए गए को छोड़कर, अनुसूची-1 के कॉलम 2 में निर्दिष्ट पद के लिए अन्य सेवा शर्तें भारत के

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य नियमों द्वारा विनियमित होंगी।

(5) अनुसूची-II में निर्दिष्ट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने वाले कर्मियों को आवश्यकतानुसार एक अतिरिक्त भत्ता प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है, यदि संबंधित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार आवेदन नहीं करते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है।

(6) अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को उनके पद/विषय के अनुसार राज्य भर के किसी अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानांतरित किया जा सकता है। संबंधित उम्मीदवार की मूल वरिष्ठता उक्त पदस्थापन परिवर्तन के कारण अप्रभावित रहेगी।

(7) उन पदों पर कार्यरत कर्मियों के पदस्थापन के मामले में जिनकी वरिष्ठता रैंज/जिला स्तर पर बनाए रखी जाती है, अन्य रैंज/जिला क्षेत्राधिकार के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद भी, संबंधित उम्मीदवार की वरिष्ठता मूल रैंज/जिले में संरक्षित रहेगी और वे आगे पदोन्नति के लिए मूल रैंज/जिले में धारणाधिकार के हकदार होंगे।

(8) उन पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रैंज/जिला स्तर पर बनाए रखी जाती है, अन्य रैंज/जिला के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु/परिवीक्षाधीन की परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद पुष्टि मूल रैंज/जिले के पिछले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन से पहले उसकी वरिष्ठता बनाए रखी जाती है।

(9) राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के पदधारी शहरी/नगरपालिका क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे।"

2023 के नियमों की पूरी योजना का अवलोकन कहीं भी शिक्षक/कर्मियों को 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का प्रावधान नहीं दर्शाता है, जैसा कि विज्ञापन की शर्त संख्या 9 में प्रदान किया गया है।

12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने 11.07.2024 को महात्मा गांधी सरकारी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद सरकारी मॉडल विद्यालयों (एसवीजीएमएस) और राज्य के अन्य सभी सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न कर्मियों/शिक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया। चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से कई नियम और शर्तें लगाई गईं, जिसमें शर्त संख्या 9 को विज्ञापन में शामिल किया गया था, जिसे अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार उद्धृत किया गया है: -

"9. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और यदि कर्मचारी अपने पदस्थापन के जिले का विकल्प देता है, तो उक्त जिले में चयन/पदस्थापन के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे।"

13. विज्ञापन की उपरोक्त शर्त संख्या 9 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है; (1) शर्त संख्या 9, 2023 के नियमों के अनुरूप और संगत नहीं है; और (2) 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने से दो समान व्यक्तियों के बीच भेद उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान का विकल्प चुनने के आधार पर कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

14. 2023 के नियमों का नियम 10 चयन के मानदंड से संबंधित है और इसमें कर्मियों को उसी जिले का विकल्प चुनने के आधार पर 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है जहां वे वर्तमान में पदस्थापित हैं। उन कर्मियों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता है जिन्होंने पदस्थापन का विकल्प चुना है और जिन्होंने विकल्प नहीं चुना है, विशेष रूप से जब उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त शिक्षण या कार्य अनुभव समान और सामान्य है। 2023 के नियमों की योजना के तहत यह आवश्यक है कि पदधारी के पास सेवा का पिछला रिकॉर्ड और अनुभव हो, जैसे अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता और अंग्रेजी माध्यम से अपने विषय को अच्छी तरह से पढ़ाने का संचार कौशल।

यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित विभिन्न कर्मियों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। 2023 के नियमों की योजना के तहत 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए, किसी विशेष जिले के कर्मियों को 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का कार्य मनमाना, पूर्णतः अनुचित और 2023 के नियमों की योजना के विपरीत है। अतः, विज्ञापन की शर्त संख्या 9 कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है।

15. सेवा न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, यदि किसी विज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों तथा सेवा और नियुक्ति के नियमों या विनियमों के बीच कोई टकराव है, तो नियमों या विनियमों के तहत निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उपरोक्त) के मामले में पैरा 20 में इस प्रकार कहा है: -

"20. अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापनों में उल्लेख किया गया था कि डीएसीपी योजना उसके रंगरूटों पर लागू होगी। हालांकि, सेवा न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि विज्ञापन में दिए गए कथन और सेवा विनियमों के बीच टकराव की स्थिति में, बाद वाला प्रभावी होगा। मलिक मजहर सुल्तान बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग 23 में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने

स्पष्ट किया कि एक त्रुटिपूर्ण विज्ञापन ऐसे प्रतिनिधित्व पर कार्य करने वाले आवेदकों के पक्ष में अधिकार उत्पन्न नहीं करेगा। न्यायालय ने यू.पी. न्यायिक सेवा नियम, 2001 के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए पात्रता मानदंड पर विचार किया, जो यू.पी. लोक सेवा आयोग द्वारा जारी एक त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के विरुद्ध था और कहा:

"21. वर्तमान विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि पीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि जो उम्मीदवार 1-7-2001 और 1-7-2002 को आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें परीक्षा के लिए आयु सीमा के भीतर माना जाएगा। निस्संदेह, बहिष्कृत उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार पात्र आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार ही की जा सकती है और विज्ञापन में कोई भी त्रुटि नियमों को अधिभावी नहीं कर सकती है और यदि नियमों के अनुसार अन्यथा पात्र नहीं है तो उम्मीदवार के पक्ष में अधिकार उत्पन्न नहीं कर सकती है। आयु में छूट केवल तभी दी जा सकती है जब नियमों के तहत इसकी अनुमति हो, न कि विज्ञापन के आधार पर। यदि पीएससी द्वारा विज्ञापन जारी करते समय नियमों की व्याख्या त्रुटिपूर्ण थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए, प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।"

17. इसी तरह आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, जो 2018 (3) SCC 55 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि विज्ञापन का कोई भी हिस्सा सांविधिक नियमों के विपरीत है, तो बाद वाला प्रभावी होगा, जैसा कि निर्णय के पैरा 27 में कहा गया है, जो इस प्रकार है: -

"27. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो सांविधिक नियमों के विपरीत है, उसे सांविधिक प्रावधान को रास्ता देना होगा। इस प्रकार, सांविधिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए,

अपीलकर्ता योग्यता पूरी करता है और पद के लिए चुने जाने के बाद उसे नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और अवैध है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब विज्ञापन और सांविधिक नियमों में भिन्नता होती है, तो सांविधिक नियम प्रधानता रखते हैं..."

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव को देखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2023 के नियमों की योजना और विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के बीच उम्मीदवारों/कर्मियों को उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान का विकल्प चुनने के लिए 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने के संबंध में एक टकराव है। शर्त संख्या 9, 2023 के नियमों की योजना के अनुरूप और संगत नहीं है। अतः, दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9 कानून की दृष्टि में कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

19. अब यह न्यायालय इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है कि "क्या विज्ञापन की शर्त संख्या 9, 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने के लिए उनके वर्तमान पदस्थापन के स्थान का विकल्प चुनने का अवसर देकर दो समान व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव करती है या नहीं?"

20. भारत का संविधान सभी नागरिकों को, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये सभी अधिकार भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत हैं।

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है और अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता होगी। भारत के संविधान के ये अनुच्छेद इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं: -

"14. कानून के समक्ष समानता। - राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। - (1) राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, निम्नलिखित के संबंध में किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा: -

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।]

(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए, कानून द्वारा, कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, जिनमें निजी शैक्षिक

संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अलावा।]

(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को निम्नलिखित करने से नहीं रोकेगा: -

(क) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान; और

(ख) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान, जहां तक ऐसे विशेष प्रावधान शैक्षिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं, जिनमें निजी शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अलावा, जो आरक्षण के मामले में मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक श्रेणी में कुल सीटों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सकता है।

16. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। -

(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर, राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को किसी वर्ग या वर्गों के रोजगार या पद पर नियुक्ति के संबंध में [राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अधीन, या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास की कोई आवश्यकता निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(4 क) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों में [पदोन्नति के मामलों में, परिणामी वरिष्ठता के साथ] आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(4 ख) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी वर्ष की किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4 क) के तहत किए गए आरक्षण के किसी भी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरी जानी हैं, किसी भी बाद के वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में विचार करने से नहीं रोकेगा और ऐसे रिक्तियों के वर्ग को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा

जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की कुल रिक्रियों पर पचास प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए।

(5) इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रावधान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों से संबंधित किसी पद का पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होगा या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित होगा।

(6) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन।"

21. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

22. प्रतिवादियों द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन के जिले का विकल्प चुनने वाले कर्मियों को 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने को उचित ठहराने वाला तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(3) के स्पष्ट प्रावधानों पर खारिज किए जाने योग्य है। राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के प्रयासों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही अंकुर में ही कुचल दिया गया था।

23. किसी विशेष क्षेत्र का निवासी होना या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित होना - चाहे वह किसी राज्य में हो या किसी विशेष क्षेत्र में, तरजीही व्यवहार या आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदान किया गया हो।

24. विशेष जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को बोनस अंक प्रदान करने का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कैलाश चंद शर्मा (उपरोक्त) के मामले में आया था और उसी पर पैरा 14 से 19 और 28, 31 में इस प्रकार विचार किया गया और निर्णय लिया गया: -

"14. आगे बढ़ने से पहले हमें एक गलत धारणा को दूर करना चाहिए जो राज्य और कुछ पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों के दौरान सामने आई थी। उन निर्णयों के आधार पर, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कारणों जैसे पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के उद्देश्य से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भौगोलिक वर्गीकरण को स्वीकार किया था, यह सुझाव दिया गया है कि किसी जिले या उस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर निवास सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से वर्गीकरण का एक वैध आधार हो सकता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा व्यापक तर्क जिसमें संकीर्णता का पुट है, अनुच्छेद 16(2) के स्पष्ट प्रावधानों पर और अनुच्छेद 16(3) के आलोक में खारिज किए जाने योग्य है। इस प्रकृति का तर्क अनुच्छेद 16(2) की अनिवार्य भाषा के विपरीत है और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित हमारे संवैधानिक लोकाचार के विपरीत है। राज्य में किसी स्थानीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के प्रयासों को इस न्यायालय द्वारा बहुत पहले ही अंकुर में ही कुचल दिया गया था। हम दोहराना चाहेंगे कि निवास अपने आप में - चाहे वह किसी राज्य क्षेत्र, जिले या जिले के भीतर छोटे क्षेत्र में हो, तरजीही व्यवहार या आरक्षण प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है, सिवाय अनुच्छेद 16(3) में प्रदान किए गए के। राज्य को जिलों में खंडित करना संभव नहीं है ताकि उस जिले के निवासियों को तरजीही आधार पर रोजगार प्रदान किया जा सके। इस मोड़ पर अनुच्छेद 16 का संक्षिप्त विश्लेषण करना उचित है।

15. अनुच्छेद 16, जो खंड (1) के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है, खंड (2) के तहत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके उस गारंटी को पुष्ट करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संबद्ध अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 में, निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले प्रारंभिक खंड से 'निवास' शब्द को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 16 के खंड (3) और (4) खंड (2) की कठोरता को (i) संसद को राज्य के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के रोजगार या पद पर नियुक्ति के संबंध में राज्य के भीतर आवासीय आवश्यकता निर्धारित करने वाला कानून बनाने की सक्षमकारी शक्ति प्रदान करके और (ii) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाकर कम करते हैं, जो राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुच्छेद 16 के खंड (5) के अलावा नए पेश किए गए खंड (4-ए) और (4-बी) अन्य प्रावधान हैं जिनके द्वारा अनुच्छेद 16(2) में कुछ हद तक पूर्ण शब्दों में लगाए गए प्रतिबंध को कुछ विशिष्ट स्थितियों को पूरा करने के लिए उठाया गया है ताकि अनुच्छेद के अंतर्निहित समग्र उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके। यहां, हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए: पहला, सार्वजनिक रोजगार के संबंध में केवल निवास (या जन्म स्थान) के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, दूसरा, संसद को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवासीय आवश्यकता निर्धारित करने वाला कानून बनाने का अधिकार है, जैसा भी मामला हो, रोजगार के एक वर्ग या वर्गों के संबंध में। इसका मतलब है कि संसदीय कानून के अभाव में, राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता का निर्धारण भी वर्जित है। पहले

पहलू पर आते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 16(2) के तहत निषेधात्मक जनादेश तब आकर्षित नहीं होता है जब कथित भेदभाव केवल निवास से संबंधित आधारों पर नहीं होता है, बल्कि निवास का तथ्य अन्य प्रासंगिक कारकों के अतिरिक्त ही ध्यान में रखा जाता है। यह, वास्तव में, 'केवल' अभिव्यक्ति का अर्थ है।

16. अब हम कुछ निर्णयों पर ध्यान दें। 1969 में ही इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ए.वी.एस. नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य: [1970] 1 एससीआर 115 में घोषणा की थी कि अनुच्छेद 16 के खंड (3) के अनुसरण में संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो उस क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र के भीतर अधिवास के लिए एक विशेष प्रावधान करता है और उसके तहत बनाए गए नियम संविधान के अधिकारातीत हैं। सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त सक्षमकारी शक्ति के अनुसरण में, नियम बनाए गए थे जो तेलंगाना क्षेत्र के भीतर आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर या उक्त क्षेत्र में किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को अपात्र बनाते थे, जब तक कि वह निर्धारित तिथि से ठीक पहले कम से कम 15 वर्षों की अवधि के लिए उक्त क्षेत्र के भीतर लगातार निवास नहीं कर रहा हो। सरकार ने 1.11.1956 को या उसके बाद आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) नियमों के तहत तेलंगाना के अधिवासियों के लिए आरक्षित कुछ श्रेणियों के पदों पर नियुक्त सभी गैर-अधिवासी व्यक्तियों को राहत देने का आदेश जारी किया। ऐसे पदधारी को आंध्र क्षेत्र में, यदि आवश्यक हो, एक अधिसंख्य पद बनाकर नियोजित किया जाना था। इस विधायी और

कार्यकारी कार्रवाई को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

अनुच्छेद 16 का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने टिप्पणी की:

"यहां इरादा हर कार्यालय या रोजगार को हर नागरिक के लिए खुला और उपलब्ध कराना है, और अन्य बातों के अलावा, भारत के एक हिस्से में कार्यालयों या रोजगार को भारत के अन्य सभी हिस्सों के नागरिकों के लिए खुला बनाना है। तीसरा खंड तब एक अपवाद बनाता है.....

रोजगार के लिए आवासीय योग्यता बनाने की विधायी शक्ति इस प्रकार विशेष रूप से संसद को प्रदान की जाती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के संबंध में कोई आवश्यकता निर्धारित करता है। यहां दो प्रश्न उठते हैं, पहला, क्या संसद, आवश्यकता निर्धारित करते समय, राज्य के किसी विशेष हिस्से में निवास की आवश्यकता निर्धारित कर सकती है और, दूसरा, क्या संसद एक घोषणा करके और विवरण को केंद्र और राज्य सरकारों की नियम बनाने की शक्ति द्वारा भरने के लिए छोड़कर इस कार्य को प्रत्यायोजित कर सकती है।"

17. यह तर्क कि आवासीय आवश्यकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने के लिए संसद को व्यापक शक्ति दी गई थी, का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

"पहले खंड द्वारा रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति में अवसर की समानता की गारंटी दी जाती है। दूसरे खंड द्वारा निवास के आधार पर, अन्य बातों के अलावा, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। हालांकि, यह महसूस करते हुए कि कभी-कभी स्थानीय भावनाओं का सम्मान करना पड़ सकता है या कभी-कभी अधिक उन्नत राज्यों से कम विकसित राज्यों में घुसपैठ को

रोकना पड़ सकता है, और इसलिए एक आवासीय योग्यता निर्धारित करनी पड़ सकती है, खंड (3) में अपवाद बनाया गया था। फिर भी, वह खंड राज्य के भीतर निवास की बात करता था। श्री सेतलवाड़ का दावा कि संसद राज्य के किसी विशेष हिस्से में निवास के संबंध में एक प्रावधान बना सकती है, सामान्य निषेध को अपना सारा अर्थ खो देगा। 'कोई भी आवश्यकता' शब्द किसी ऐसी चीज को वारंट करने के लिए नहीं पढ़े जा सकते हैं जिसे अधिक विशिष्ट रूप से कहा जा सकता था। ये शब्द निवास के प्रकार या उसकी अवधि पर आधारित हैं, न कि राज्य के भीतर उसके स्थान पर। हम श्री गुप्ता के तर्क को स्वीकार करते हैं कि संविधान, जैसा कि यह है, आवासीय योग्यता के लिए एक पूरे राज्य को स्थल के रूप में बोलता है और यह सोचना असंभव है कि संविधान सभा जिलों, तालुकों, शहरों, कस्बों या गांवों में निवास के बारे में सोच रही थी। यह तथ्य कि यह खंड एक अपवाद है और एक संशोधन के रूप में आया है, यह निर्धारित करना चाहिए कि अपवाद पर एक संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए जैसा कि वास्तव में संविधान सभा में बहसों भी इंगित करती हैं।"

18. इस प्रकार, यह न्यायालय संवैधानिक दर्शन को व्यापक रूप से ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 16(3) पर बहुत व्यापक व्याख्या करने के लिए इच्छुक नहीं था।

19. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ: (1984) 11LLJ481SC में हालांकि न्यायालय इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में आवासीय आवश्यकता या संस्थागत वरीयता अनुच्छेद 15(1) और 15(4) के आलोक में संवैधानिक रूप से अनुमेय हो सकती है, भगवती, जे. ने न्यायालय के लिए

बोलते हुए सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता के संबंध में अपनी प्रथम दृष्टया राय इस प्रकार व्यक्त की:

"हम इस स्तर पर यह बताना चाहेंगे कि हालांकि अनुच्छेद 15(2) धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, अनुच्छेद 16(2) आगे बढ़कर यह प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन रोजगार में अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन रोजगार के संबंध में, किसी भी नागरिक को वरीयता नहीं दी जा सकती है और न ही केवल निवास के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि आवासीय आवश्यकता राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त के रूप में असंवैधानिक होगी..... लेकिन, अनुच्छेद 16(3) इस नियम का अपवाद प्रदान करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि संसद एक कानून बना सकती है जो "राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के अधीन, या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन, रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के वर्ग या वर्गों के संबंध में, ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के संबंध में कोई आवश्यकता निर्धारित करता है।" संसद को ही निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध के अपवाद को अधिनियमित करने का अधिकार दिया गया है और वह भी केवल राज्य सरकार के रोजगार के भीतर के पदों के संबंध में। लेकिन फिर भी, ऐसा करने की अनुमति देने वाले किसी भी संसदीय अधिनियम के बिना, कई राज्य सरकारें लंबे समय से स्थानीयता

की नीतियों का पालन कर रही हैं और ये नीतियां अब काफी व्यापक हैं। संसद ने वास्तव में राज्यों द्वारा तैयार की गई इन नीतियों पर बहुत कम नियंत्रण रखा है। अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद द्वारा की गई एकमात्र कार्रवाई, यदि उसे निवास की आवश्यकता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, तो वह सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता के संबंध में) अधिनियम, 1957 का अधिनियमन है.....

इसलिए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के मामले को छोड़कर, जहां केंद्र सरकार को अधीनस्थ सेवाओं में निवास की आवश्यकता निर्धारित करने के निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है, निवास की आवश्यकता पर आधारित तरजीही नीतियों की अनुमति देने वाला कोई संसदीय अधिनियम नहीं है। फिर भी, अनुच्छेद 16(2) के बावजूद कुछ राज्य 'भूमिपुत्र' नीतियों को अपना रहे हैं, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या राज्य की साधन या एजेंसी के किसी अन्य निगम के अधीन रोजगार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए अधिवास या निवास की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण या वरीयता निर्धारित करती हैं। प्रथम दृष्टया यह संवैधानिक रूप से अनुमेय प्रतीत नहीं होता है, हालांकि हम इस पर कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन रिट याचिकाओं और सिविल अपील में यह सीधे विचार के लिए नहीं उठता है।"

28. इस आधार से उत्पन्न दलील की औचित्यता कि ग्रामीण लोगों का उत्थान उनके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है, का परीक्षण उन ठोस स्थितियों से किया जा सकता है जो वर्तमान मामलों में हमारे सामने आती हैं। हम यहां प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदों के लिए चयन से

संबंधित हैं, न्यूनतम योग्यता एससीसी के साथ शिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। क्या न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ सकता है कि कस्बों में रहने वाले उम्मीदवार, कस्बों या उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों या कॉलेजों में अपनी शिक्षा के साथ, उन उम्मीदवारों की तुलना में उच्च पायदान पर हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई की है? क्या बाद वाला पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है? हम ऐसा नहीं सोचते। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नौकरियों के इच्छुक- चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र से हों या शहरी क्षेत्र से - आम तौर पर समृद्ध वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं। जाहिर है वे निम्न मध्यम वर्ग या गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। कुल मिलाकर, शिक्षा की प्राप्ति में, वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने साथी नागरिकों के समान बाधाएं झेलते हैं और साझा करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को उन सर्वोत्तम स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच प्राप्त है जो संपन्न वर्ग के पास हो सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी डेटा के बिना, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कस्बों - छोटे या बड़े - और उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थित स्कूल और कॉलेज गुणात्मक रूप से बहुत बेहतर हैं, यानी, शिक्षण मानकों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के दृष्टिकोण से, ताकि शहरी उम्मीदवारों को ग्रामीण उम्मीदवारों पर बढ़त मिल सके।

31. ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को दिए गए तरजीही व्यवहार के औचित्य में प्रस्तुत किए गए दो आधारों को बलजीत कौर के मामले 1992 डब्ल्यूएलआर राज. 83 और अरविंद कुमार गोचर के मामले (6.4.94 को तय किया गया) में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पक्ष में पाया गया। चयनित उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित हुए श्री राजीव धवन, जिन्होंने एसएलपी (एसआईसी)

संख्या 10780/2001 दायर की है, ने चुनौतीप्राप्त परिपत्र का समर्थन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मुख्य रूप से दूसरे आधार पर, अर्थात्, स्थानीय बोली से बेहतर परिचितता। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब शिक्षकों की भर्ती संबंधित पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में सेवा करने के लिए की जा रही है, तो उस विशेष जिले और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोग उस जिले और उसमें शामिल पंचायत क्षेत्रों के भीतर छात्रों को पढ़ाने के लिए बेहतर उपयुक्त हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार स्थानीय वातावरण में बेहतर आत्मसात हो सकते हैं और प्राथमिक स्तर पर छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। इस बात पर जोर दिया गया है कि यद्यपि भाषा/मातृभाषा समान है, बोली जिले-जिले और यहां तक कि जिले के भीतर भी भिन्न होती है। पंचायत द्वारा संचालित स्कूलों में सेवा करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के चयन की सुविधा प्रदान करके, राज्य ने निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में कार्य किया है। ऐसे उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में अधिक प्रभावी होंगे और नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि वर्गीकरण उन विचारों पर आधारित है जिनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंध है और यह केवल निवास से संबंधित नहीं है। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, हालांकि यह प्रशंसनीय है। हमें लगता है कि तथ्यात्मक आधार के बिना बोली सिद्धांत पर अनुचित जोर दिया जा रहा है। यह दावा कि बोली और बोली जाने वाली भाषा की बारीकियां जिले-जिले में भिन्न होती हैं, राज्य द्वारा किए गए अनुभवजन्य अध्ययन या सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। इस संबंध में विशिष्ट विवरण भी नहीं दिए गए हैं। प्रत्युत्तर हलफनामा (रूपर उद्धृत) में यह कहा

गया है कि "प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा है"। यदि यह सही है, तो जिला परिषद को अधिसूचना में उल्लेख करना चाहिए था कि उम्मीदवारों को विचार के लिए पात्र बनने के लिए विशेष भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि प्रत्युत्तर में 'बोली' के बजाय 'भाषा' का उल्लेख अनजाने में किया गया है। जैसा कि पिछले वाक्य से देखा गया है, बोली और भाषा शब्दों का उपयोग विनिमेय अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है, शायद दोनों के बीच के अंतर को समझे बिना। इसलिए हम यह मानते हैं कि प्रत्युत्तर में जो व्यक्त किया गया है उसका अर्थ यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की एक विशिष्ट बोली या स्थानीय भाषा है और इसलिए जिले के स्थानीय उम्मीदवार छात्रों को पढ़ाने और उनके साथ बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। ऐसे मामले में, राज्य सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए थी जिनमें स्थानीय भाषा की असमानताएं मौजूद हैं और भाषण और बोली भिन्न होती है। यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन और प्रासंगिक डेटा के संग्रह के आधार पर ही किया जा सकता था। यह किसी का मामला नहीं है कि ऐसा कोई अभ्यास किया गया था। किसी भी मामले में, यदि ये अंतर क्षेत्र-वार या क्षेत्र-वार मौजूद हैं, तो जिले में निवास के आधार पर उम्मीदवारों को भारांक देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। उस क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार, इस तथ्य के बावजूद कि वे क्षेत्र के x, y या z जिले से संबंधित हैं, उस क्षेत्र की कथित रूप से भिन्न बोली से बहुत अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं। यह तर्क और टूट जाता है, यदि ग्रामीण उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाए। क्या यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि कस्बों में बसने वाले उम्मीदवार उस जिले की बोली से परिचित नहीं होंगे? क्या हम उचित रूप से इस धारणा पर आगे बढ़ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार उसी जिले के शहरी

क्षेत्र के उम्मीदवारों की तुलना में जिले की बोली से अधिक परिचित हैं? हमारे विचार में दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। गांवों में रहने वाले शिक्षित लोगों को उसी जिले के कस्बों - बड़े या छोटे - में रहने वाले लोगों पर केवल इस अनुमान पर वरीयता देना कि पूर्व (ग्रामीण उम्मीदवार) ग्रामीण छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, केवल एक कृत्रिम भेद पैदा करने के बराबर होगा जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई वैध संबंध नहीं है। यह तब मुख्य रूप से निवास के आधार पर भेदभाव का मामला होगा जो अनुच्छेद 16(2) द्वारा निषिद्ध है।"

25. ऐसे परिवार से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त अंकों का भारांक देने का मुद्दा, जिसमें संगठित रोजगार में कोई सदस्य नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हिमाचल प्रदेश बनाम अमर नाथ शर्मा और अन्य के मामले में आया था, जो 1994 (4) एसएलआर 436 में रिपोर्ट किया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नागरिकों के एक विशेष वर्ग को कोई भारांक या प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। निर्णय के पैरा 8 और 9 में इस प्रकार कहा गया है: -

"8. जहां तक ऐसे परिवार से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए भारांक का संबंध है, जिसमें संगठित रोजगार में कोई सदस्य नहीं है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय इसे मनमाना मानने में उचित था। नागरिकों के एक वर्ग के लिए कोई भारांक या प्रोत्साहन प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। शिक्षा और सामाजिक स्थिति वाले एक समृद्ध परिवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की योजना में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में कोई वरीयता नहीं दी जा सकती है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं और "ऐसे परिवार से संबंधित उम्मीदवार के लिए 10

अंकों के भारांक को रद्द करते हैं जिसके लिए संगठित रोजगार में एक भी सदस्य नहीं है।" यह इस निर्णय की तिथि से भविष्य में प्रभावी होगा। इस निर्णय की तिथि से पहले ज्ञापन के आधार पर किया गया कोई भी चयन वैध माना जाएगा।

9. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, चयन प्रक्रिया को रद्द करने में उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने केवल अनुमान और अटकलों पर कार्य किया है। हमें साक्षात्कारों के संचालन में कोई तात्त्विक अवैधता नहीं मिली है। केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार ने शैक्षिक योग्यताओं के लिए कम अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार में अधिक अंक प्राप्त किए। यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि उम्मीदवार का पक्ष लिया गया था। विभिन्न जिला स्तरों पर विशेष चयन समितियों ने साक्षात्कार आयोजित करने के लिए अपनी प्रक्रिया अपनाई। कुछ स्थानों पर सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व के संबंध में एकमुश्त अंक दिए गए थे जबकि अन्य स्थानों पर 20 अंकों को सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व में अलग-अलग विभाजित किया गया था। हमें साक्षात्कार आयोजित करने के तरीके में कोई अवैधता नहीं दिखती है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को रद्द करते हैं और मानते हैं कि साक्षात्कार ठीक से आयोजित किए गए थे।"

26. यहां, वर्तमान मामले में प्रतिवादियों ने विज्ञापन में शर्त संख्या 9 को अपने वर्तमान पदस्थापन के जिले का विकल्प चुनने वाले कर्मियों को लिखित परीक्षा में 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने के लिए रखा है, लेकिन यह शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए किसी भी नियम द्वारा समर्थित नहीं है।

27. यह न्यायालय का स्पष्ट और विशिष्ट मत है कि राज्य को उन प्रावधानों का पालन करना होगा जो लोगों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन राज्य कोई कृत्रिम वर्गीकरण नहीं बना सकता है जिसके परिणामस्वरूप दो समान और समान स्थिति वाले व्यक्तियों

के बीच भेदभाव होता है। सभी उम्मीदवार, जो नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, नियमों के तहत निर्धारित समान चयन मानदंड के आधार पर चयन के हकदार हैं। व्यक्तियों के एक विशेष समूह को अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करना उचित नहीं है।

28. अतः, यह न्यायालय पाता है कि जिले के कर्मियों के एक विशेष समूह को 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करना, यदि वे अपने वर्तमान पदस्थापन के स्थान/जिले का विकल्प चुनते हैं, तो समानता के अधिकार की कसौटी पर परीक्षण करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है और यह समान लोगों के बीच असमानों का एक वर्ग बनाता है। 2023 के नियमों और विज्ञापन की उपरोक्त शर्त संख्या 9 के बीच लिखित परीक्षा में 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने के संबंध में कोई संबंध नहीं है।

29. यहां यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल भी, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 2023 के नियमों की समान योजना के अनुसरण में प्रतिवादियों द्वारा 17.06.2023 को समान विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने की ऐसी कोई शर्त उस विज्ञापन में नहीं रखी गई थी। अतः, ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादियों के पास दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन में चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9 को शामिल करने का कोई अवसर या कारण उपलब्ध नहीं था।

30. उपरोक्त चर्चाएं इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के अनुसार, किसी विशेष जिले में पदस्थापित कर्मियों को, जिन्होंने पदस्थापन के उसी स्थान/जिले का विकल्प चुना है, बोनस अंक प्रदान करना अस्वीकार्य भेदभाव के बराबर है। इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऐसे तरजीही व्यवहार का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। विज्ञापन की शर्त संख्या 9 के तहत प्रदान किए गए 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करके उम्मीदवारों को अलग करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रकट कारण या तो गैर-मौजूद हैं या अप्रासंगिक हैं, जिनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 का आपत्तिजनक हिस्सा योग्यता को कमजोर करने का प्रभाव रखता है, बिना किसी भी तरह से उद्देश्य को बढ़ावा दिए। विज्ञापन की चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16

का उल्लंघन है। अतः, दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9, जहां तक 10 अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का संबंध है, अवैध और असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।

31. ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, ये रिट याचिकाएं स्वीकार किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा स्वीकार की जाती हैं। दिनांक 11.07.2024 के विज्ञापन की शर्त संख्या 9 रद्द और अपास्त की जाती है। प्रतिवादी 2023 के नियमों की योजना में निर्धारित योग्यता और अन्य मानदंडों के आधार पर और विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार, चुनौतीप्राप्त शर्त संख्या 9 के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए बिना चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

32. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) निपटाए जाते हैं। पक्षकारों को अपना-अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), जे

करण/282-285

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

